

*ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत गंगासागर, हराही एवं दिग्धी झीलों के Rejuvenation हेतु कुल ₹7528.21262 लाख (पचहत्तर करोड़ अठाईस लाख इक्कीस हजार दो सौ बासठ रुपये) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल ₹50.000000 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश सं०-318, दिनांक-11.02.2025 द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत गंगासागर, हराही एवं दिग्धी झीलों के Rejuvenation हेतु कुल ₹7528.21262 लाख (पचहत्तर करोड़ अठाईस लाख इक्कीस हजार दो सौ बासठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र आवंटित किया गया है। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय राज्यादेश संख्या-33 दिनांक-13.05.2026 द्वारा ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र आवंटित किया गया। अर्थात् अबतक कुल राशि ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र उक्त योजना हेतु आवंटित किया जा चुका है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको का पत्रांक-2290 दिनांक-16.07.2026 द्वारा उक्त योजनाओं हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति तथा प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ-05 में अंकित एकरारनामा के राशि के अनुरूप स्तम्भ-07 में अंकित राशि ₹50.000000 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, दरभंगा	माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत गंगासागर, हराही एवं दिग्धी झीलों के Rejuvenation कार्य	7528.21262	6514.83782	550.00000	50.00000	5914.83782
कुल योग			7528.21262	6514.83782	550.00000	50.00000	5914.83782

अर्थात् ₹50.000000 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹50.00000 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक- 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडको के PL खाता सं०- PTSPLA006 HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**

5. उक्त स्वीकृत कुल ₹50.00000 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति, लघु शीर्ष- 191- नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0106-जल-जीवन-हरियाली, विपत्र कोड-48-2215011910106, विषय शीर्ष-0106.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार **सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।** राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/जल-जीवन-02-10/2026 के पृष्ठ सं०-36/टि० पर दिनांक-11.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-38/टि० पर दिनांक-14.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-04/जल-जीवन-02-10/2026

135

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/8/26

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 04 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।